

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :- शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं० -306/2016

हरलाल

बनाम

निर्णय

निर्णय दिनांक

दुर्गाराम आदि

दिनांक 26/10/17

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.07.2017 की पालना में तहसीलदार उदयपुरवाटी ने पत्र क्रमांक/भू0अ0/17/1687 दिनांक 23.10.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकारान द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं की गई है। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रुपये
1	मुखराम दुर्गाराम मदन श्रीराम महावीर नरसीराम पि० धन्नाराम अमरी पत्नि स्व० धन्नाराम हि० 0.16 है० धुड़ा बंशीधर साधुराम फलचन्द देबु पि० भूदा हि० 0.16 है० सरबती पत्नि स्व० भागुराम हि० 050 है० लाडो देवी पत्नि स्व० रामेश्वर हि० 0.08 है० जाति माली सा० देह खातेदार राहिन:- सरबती देवी हिस्सा एस०बी०आई० शखा खेतड़ी मूर्तहीन।	चंवरा	371 374 375 376 377	0.17 0.20 0.17 0.17 0.19	चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए	
		किता	5	0.90	चाही ए	22.24
2	हरलाल पु० भादर जाति माली सा० देह खातेदार	चंवरा	371/1	0.14	चाही ए	3.46

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे। नियमानुसार मुद्रांक शुल्क प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

26/10  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

निर्णय आज दिनांक 26/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/10  
उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ0 2 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

पीठासीन अधिकारी :- श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं0 -306/2016

हरलाल

बनाम

निर्णय

निर्णय दिनांक:

दुर्गाराम आदि

दिनांक: 26/10/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...-..... मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव में उनके नाम के सामने अंकित खसरा नम्बर , रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है ।

क. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान रूपये
1	मुखराम दुर्गाराम मदन श्रीराम महावीर नरसीराम पि0 धन्नाराम अमरी पत्नि स्व0 धन्नाराम हि0 0.16 है0 धुड़ा बंशीधर साधुराम फलचन्द देबु पि0 भूदा हि0 0.16 है0 सरबती पत्नि स्व0 भागुराम हि0 050 है0 लाडो देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर हि0 0.08 है0 जाति माली सा0 देह खातेदार राहिन:- सरबती देवी हिस्सा एस0बी0आई0 शखा खेतड़ी मूर्तहीन ।	चंवरा	371 374 375 376 377	0.17 0.20 0.17 0.17 0.19	चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए	
		किता	5	0.90	चाही ए	22.24
2	हरलाल पु0 भादर जाति माली सा0 देह खातेदार	चंवरा	371/1	0.14	चाही ए	3.46

तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार उदपुरवाटी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस आदेश का हिस्सा माना जावे।

निज..-.....-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -..... का अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 10 सन 2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (सन्ताने)